

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, यथा— चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी,
टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग—२


देहरादून : दिनांक २१ नवम्बर, 2017

विषय— भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम—2011 (संशोधन, 2015) (समय समय पर
यथा संशोधित) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—888/V-2013-55(आ०)/2006-टी०सी०, दिनांक
12 जून, 2015 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015)
निर्गत करते हुए विकास प्राधिकरणों को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति
सहित अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास
उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) (समय—समय पर संशोधित यथा—2016, 2017) को
बोर्ड से अंगीकृत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव